# श्रीमति शालिनी मिश्रा, माननीया स०वि०स०, श्रीमति अश्वमेध देवी, माननीया स०वि०स० एवं श्री मंजीत कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं0–03/2026

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-25.11.2022 को चतुर्थ कृषि रोडमैप के सूत्रण पर हुई बैठक के आलोक में गन्ना उत्पादक जिलों में जल-जमाव के स्थायी समाधान हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। इस समिति में जल संसाधन, राजस्व, कृषि, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और गन्ना उद्योग विभाग शामिल थे, जिनका उद्देश्य जल-जमाव प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण कर जल निकासी हेतु DPR तैयार करना था। इसी क्रम में ईख आयुक्त, बिहार के ज्ञापांक-02/रेगु०/02-7010/2018-251 (दिनांक 14.01.2023) एवं संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक-1PMC/बैठक/06/2022-42 (दिनांक 13.01.2023) द्वारा प० चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के जिला पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए थे परन्तु अब तक कोई सकारात्मक अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ है।<br>अतः सदन के माध्यम से गन्ना उत्पादक जिलों को जलजमाव से मुक्त कराने की ओर हम सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं। | वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-25.11.2022 को चतुर्थ कृषि रोडमैप के सूत्रण पर हुई बैठक में गन्ना उत्पादक जिलों में जल-जमाव क्षेत्रों के आकलन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति में कृषि विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, गन्ना उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सदस्य शामिल थे।<br>उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण द्वारा समिति का गठन कर समिति का संयुक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त योजनाओं का सूत्रण किया गया।<br>इस क्रम में विभाग द्वारा विशेष पहल करते हुए राज्य में चीनी उत्पादन के लिए गन्ना की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गन्ना उद्योग विभाग एवं गन्ना मिलों के प्रतिनिधिगण के बीच निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभीतक कुल 274 योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति कर जिला के सक्षम प्राधिकार को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। जिसके आलोक में 207 योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति कर इसके कार्यान्वयन निमित कार्रवाई की जा रही है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से 1.294 लाख एकड़ गन्ना कृषि क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा सकेगा।<br>विभाग द्वारा वृहद अवधि में भी गन्ना कृषि क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसमें मुख्यतः सिकरहना नदी पर दायाँ तटबंध निर्माण, मसान नदी पर तटबंध निर्माण एवं मृत बागमती नदी का गाद उड़ाही सम्मिलित है। |

P.T.O

# बिहार सरकार
## जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–06 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–191 दिनांक–18.03.2026 के प्रसंग में ध्यानाकर्षण सूचना सं0–03 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–06 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–06 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0ध्याना0(मुज0)–01–06 / 2026– 2254 पटना, दिनांक– 21/05/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.05.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
20.05.26